(48)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 104—तीन/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 10—11—2015 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, करैरा, जिला—शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 1905/बी—121/2012—13

.....

1— श्रीमती शकुन्तला पत्नी रामवीर जाटव
2— रामेश्वर पुत्र घनश्याम खटीक
3— श्रीमती गीता पत्नी रामेश्वर खटीक
निवासी—ग्राम छितरी परगना नरवर, जिला—शिवपुरी, म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1— खेमराज पुत्र बैजू खंगार
2— श्रीमती गीता पत्नी खेमराम खंगार
निवासी—ग्राम छितरी परगना नरवर
जिला—शिवपुर, म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 28/12/2016 को पारित)

यह निगरानी मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी करैरा, जिला शिवपुरी के आदेश दिनांक 10—11—2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम छितरी परगना नरवर, जिला–शिवपुरी में स्थित विवादित भूमि सर्वे क्र0 200 है। जिसका आवेदकगण को भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में आवेदन पत्र तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर से अनावेदकगण द्वारा भी एक आवेदन पत्र उक्त भूमि के संबंध प्रस्तुत किया। किन्तु अनावेदकगण ग्राम छितरी के मूल निवासी न होकर ग्राम बरूआ के निवासी है। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/2002–03/अ–19 पर दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 23–10–2002 से अनावेदकगण का पट्टा कर दिया गया। जिसकी शिकायत आवेदकगण द्वारा तहसीलदार महोदय नरवर के समक्ष पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 101/बी–121/2006–07 पर पंजीबद्ध किया जाकर, पारित आदेश दिनांक 30–08–2007 से अनावेदकगण के पक्ष में किया गया भूमि आवंटन का आदेश निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी करैरा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रकरण क्रमांक 149/अपील/2008–09 पर दर्ज किया जाकर, पारित आदेश दिनांक 23–03–2010 से अपील स्वीकार की तथा प्रकरण में बंटन प्रक्रिया की जांच किये जाने हेतु पात्रता के संबंध में प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि प्रकरण में विधिवत राजस्व निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन दिनांक 30–07–2012 न्यायालय तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी करैरा की ओर भेजा गया। परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में पुनः स्थल निरीक्षण के लिये प्रकरण तहसीलदार नरवर को भेजा गया। तहसीलदार नरवर द्वारा पुनः प्रकरण में स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन दिनांक 10–01–2013 से न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी करैरा की ओर प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदन में इस प्रकार का उल्लेख किया है कि अनावेदक ग्राम छितरी का निवासी न होकर ग्राम बरूआ का निवासी है। इस कारण अनावेदकगण को दिनांक 27–06–2013 से भूमि व्यवस्थापित नहीं की जा सकती है। इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक निगरानी प्र0क्र0

2750–तीन/2013 दर्ज की जाकर उक्त निगरानी में पारित आदेश दिनांक 02–02–2015 से निरस्त कर दी गई। अनावेदक को उक्त भूमि के संबंध में अपील अथवा निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकारी नहीं था। जबकि आवेदकगण को पक्षकार बनाये बिना अनुविभागीय अधिकारी करैरा के समक्ष पृथक से अपील प्र0क्र0 1905/बी–121/2012–13 पर दर्ज की जाकर अपील में पारित आदेश दिनांक 10–11–2015 से स्वीकार की गई। उक्त आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि आवेदकगण को राजस्व निरीक्षक वृत्त –1 नरवर, तहसीलदार नरवर, जिला–शिवपुरी द्वारा भूमिहीन होने तथा पट्टा की पात्रता होने के आधार पर उक्त भूमि सर्वे क्र0 200 रकबा 0.80 है0 पृथक–पृथक भूमि का पट्टा विधिवत प्रदान किया गया और पट्टा प्रदान करने के दिनांक से आवेदकगण उपरोक्त भूमि पर काबिज होकर भूमि का उपयोग कर रहे है। आवेदकगण द्वारा विवादित भूमि पर काफी श्रम एवं धन खर्च करके भूमि को उपजाऊ बनाया है तथा सिंचाई की समुचित व्यवस्था की है और आवेदकगण के पास उपरोक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है। यदि उक्त भूमि को शासकीय घोषित कर दिया गया तो आवेदकगण को भारी क्षति होगी। तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर एवं प्रकरण कायम कर उक्त भूमि का पट्टा आवेदकगण को प्रदान किया गया। उनके द्वारा तर्क में यह भी बताया कि उक्त पट्टे को बार–बार मौके की जांच कराई जाकर अनावेदकगण विवादित भूमि अपने नाम करना चाहता है। अनावेदक उस गांव का निवासी नहीं है बल्कि ग्राम बरूआ का निवासी है। अनावेदक को कोई पात्रता नहीं होने के कारण उक्त पट्टा निरस्त किया था। परन्तु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पृथक से अपील प्रस्तुत कर आवेदकगण को बिना पक्षकार बनाये शासन को पक्षकार बनाकर आदेश दिनांक 10–11–2015 से आदेश पारित कराया है। जो शून्य एवं निष्प्रावी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदकगण भूमिहीन हरिजन कृषि मजदूर

व्यक्ति है। यदि उक्त पट्टा निरस्त कर उक्त भूमि को शासकीय अथवा फर्जी/दीगर गांव के व्यक्तियों को पट्टा आवंटित कर दिया जाता है तो आवेदकगण के पास भरण–पोषण का कोई साधन नहीं रह जावेगा। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्तनीय योग्य है। परिणाम स्वरूप निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत जांच कराने के उपरांत तहसीलदार का आदेश निरस्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का परिशीलन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण कमांक 01/2002–03/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 23–10–02 से आवेदकगण सहित अनावेदकगण एवं अन्य ग्रामवासियों को पट्टे प्रदान किये गये थे। विचारण न्यायालय के प्रकरण में अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन से प्रकट होता है कि अनावेदकगण ने नाम के नीचे निवासी के रूप में ग्राम बरौआ कृषक छितरी अंकित किया है जबकि अनावेदकगण का ग्राम छितरी का पट्टा निरस्त किया गया था। शिकायत के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण के समय आदेश दिनांक 08–9–05 के द्वारा अनावेदकगण को पट्टा निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने मौका निरीक्षण में यह पाते हुये कि पूर्व में जारी पट्टो के अनुसार मौके पर उतनी भूमि मौजूद नहीं है इस कारण अनावेदकगण का पट्टा निरस्त किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश को ही अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दिये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के विपरीत अनावेदकगण का पट्टा बहाल करने में त्रुटि की है। अनावेदकगण द्वारा बार–बार तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील करता चला आ रहा है जिसमें बार–बार जांच किये जाने एवं प्रतिवेदन दिये जाने की

कार्यवाही की जा रही है। चूंकि मौके पर भूमि कम है और नियमानुसार जारी पट्टे के विरूद्ध अनावेदकगण भूमि प्राप्त करना चाह रहे हैं जो कि विधिअनुकूल नहीं कही जा सकती। अनुविभागीय अधिकारी करैरा ने अपने आदेश दिनांक 10–11–2015 में इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि मौके पर भूमि है अथवा नहीं।

विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह भी प्रकट होता है कि अनावेदकगण द्वारा आवेदकगण सहित अन्य भूमिस्वामियों की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया था जिसके कारण उसके विरूद्ध बेदखली संबंधी कार्यवाही भी संपादित हुई। आवेदक अभिभाषक का तर्क मान्य किये जाने योग्य है कि अनावेदकगण पट्टा प्रदाय किये जाते समय ग्राम छितरी के निवासी न होकर ग्राम बरौआ के निवासी थे। आवेदकगण अभिभाषक द्वारा तर्क के साथ प्रस्तुत प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 करैरा जिला शिवपुरी के व्यवहारवाद कमांक 10ए/16 इ0दि0 में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 29–6–2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका शकुन्तला को प्रदाय भूमि पर अनावेदकगण द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है जिसे प्रथम व्यवहार न्यायाधीश ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अनावेदकगण को आवेदकगण की भूमि के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से निषेधित किया है। आवेदकगण को प्रदाय पट्टे की भूमि पर आवेदकगण का कब्जा व्यवहार न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा ने माना है तथा अनावेदक को आधिपत्य के संबंध में निषेधित किया है जिससे प्रकट होता है कि अनावेदकगण द्वारा आवेदकगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अनावेदकगण को प्रदाय पट्टा निरस्त किये जा चुके थे और वास्तविक रूप से मौके पर भूमि नहीं होने से अनावेदकगण द्वारा दूसरे कृषकों की भूमि पर कब्जा कर मौके पर कायम बना हुआ है जिसके कारण प्रतिवेदन में अनावेदकगण की फसल आदि खडे होने का लेख आ जाता है। मात्र प्रतिवेदन में फसल होने एवं मौके में किसी अन्य की भूमि पर कब्जा होने से किसी व्यक्ति को स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। अनुविभागीय

अधिकारी द्वारा अनावेदकगण को वर्ष 2002 को निरस्त किया गया पट्टा बहाल कर मौके पर विवाद की स्थिति निर्मित कर दी है। इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदकगण को बिना पक्षकार बनाये अपील पेश की गई थी जिसपर अनुविभागीय अधिकारी ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को अनदेखा कर आवेदकगण के हितबद्ध पक्षकार होते हुये बिना पक्षकार उनके पट्टा निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की है। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले निष्कर्ष विधिसंगत नहीं कहे जा सकते हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी करैरा का आदेश दिनांक 10–11–2015 निरस्त किया जाता है। अनावेदक चाहे तो पट्टा प्राप्त करने की कार्यवाही पृथक से करने के लिए स्वतंत्र है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर